राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामफूल बनाम रामनारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/04/2026	178/2021 621/2019 662/2019 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक ही वाद में पारित काउन्टर क्लेम एवं निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 178/2021,621/2019 एवं 662/2019 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस तीनो पत्रावली पर ईकजाई रूप से सुनी गयी। अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 17/04/2026 को पेश हो।	
17/04/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 रामनारायण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि ग्राम शीस्यावास तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 161 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 168 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 169 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 170 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 171 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा के संबंध में प्रस्तुत कर अभिवचन किये कि उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार वादी का पिता प्रताप पुत्र हरला जाति मीणा था जो भूमि पर बतौर खातेदार काबिज रहकर अपने जीवनकाल में काश्त करता रहा एवं उसकी मृत्यु फरवरी 1989 में हो जाने के पश्चात वादी व उसकी माता धन्नी बेवा प्रताप विवादित भूमि पर काबिज रहे तथा वादी की माता धन्नी का भी स्वर्गवास हो जाने के पश्चात वादी काबिज है तथा काश्त करता है एवं वादी का वर्तमान में भी सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त भूमि से कोई हक संबंध व अधिकार नही रहा है एवं न ही उनका कभी भी कब्जा ही रहा है एवं न ही वर्तमान में ही कब्जा है। वाद पत्र के चरण 1 में वर्णित भूमि के भूप्रबन्ध सर्वेक्षण दिनांक 1.7.1989 से 30.6.2009 में नये खसरा नम्बर 406 रकबा 0.41 है., खसरा नम्बर 424 रकबा 0.36 है., खसरा नम्बर 425 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 426 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 427 रकबा 0.11 है., खसरा नम्बर 529 रकबा 0.18 है., खसरा नम्बर 530 रकबा 0.07 है., खसरा नम्बर 531 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 532 रकबा 0.03 है., खसरा नम्बर 533 रकबा 0.19 है., खसरा नम्बर 534 रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 541 रकबा 0.17 है. कुल किता 12 कुल रकबा 1.81 है. बनाये गये। उक्त भूमि में पांचू पुत्र नानगा का कोई संबंध व अधिकार नहीं था एवं न ही कब्जा था फिर भी पांचू द्वारा उक्त वर्णित भूमि में स्वयं का 1/2 हिस्सा बताते हुये न्यायालय एस.डी.ओ.	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामफूल बनाम रामनारायण 178/2021 621/2019 662/2019 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिय्ल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एवं ए.सी.एम. के समक्ष दिनांक 6.1.89 को दावा बाबत घोषणा एवं विभाजन हेतु पेश किया जो दिनांक 30.1.1986 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया, जिससे स्पष्ट है कि पांचू पुत्र नानगा का विवादित भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है, लेकिन दौराने भूप्रबन्ध सर्वेक्षण में स्व पॉचू पुत्र नानगा द्वारा भूप्रबन्ध विभाग के कर्मचारियो से मिलकर चुपचाप षडयंत्र पूर्वक वादी व उसकी माता के साथ मिलकर दिनांक 1.9.1990 को विवादित भूमि में स्वयं के नाम 1/2 हिस्सा की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा लिया, जबकि पांचू पुत्र नानगा का विवादित भूमि में कोई हक संबंध व अधिकार नहीं था एवं न ही भूप्रबन्ध विभाग को उक्त इन्द्राज करने का कोई हक व अधिकार ही था इस कारण भूप्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया उक्त इन्द्राज पूर्णतः अवैध गैर कानूनी व अधिकार क्षेत्र बाहर के कारण उक्त इन्द्राज के आधार पर न तो वादी के हक अधिकार समाप्त होते है एवं न ही किसी अन्य व्यक्ति को कोई भी अधिकार प्राप्त होते है। भूप्रबन्ध सर्वेक्षण में किये गये उक्त अवैध व गैर कानूनी व अधिकार क्षेत्र बाहर इन्द्राज के आधार पर पांचू द्वारा अपने नाम कराये इन्द्राज के कारण पांचू के स्वर्गवास के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वयं को पांचू का पुत्र व प्रतिवादी संख्या 2 ने पांचू की पत्नि बताते हुये नामान्तकरण अवैध रूप से अपने नाम से तस्दीक करवा लिया जबकि न तो प्रतिवादी संख्या 1 पांचू का पुत्र है एवं न ही प्रतिवादी संख्या 2 पांचू की पत्नि है, बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 मसहाय का पुत्र एवं प्रतिवादी संख्या 2 पांची रामसहाय की पत्नि है, इस कारण किया गया उक्त इन्द्राज अवैध गैर कानूनी व अधिकार क्षेत्र बाहर होने के कारण प्रतिवादीगण को विवादित भूमि में कोई भी कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा प्रतिवादीगण द्वारा भूप्रबन्ध विभाग के कर्मचारियो से मिलकर कराये गये इन्द्राज के आधार पर कानूनन कोई भी हक़ व अधिकार प्राप्त नही होते है, किन्तु राजस्व रिकार्ड में अवैध रूप से उनका नाम दर्ज होने के कारण उनकी नियत में अनावश्यक रूप से फितूर आ जाने के कारण वे भूमि में अपने हक . हिस्सा बताने लगे है। दिनांक 29.10.2012 को प्रतिवादी संख्या 1 अपने साथ 2-3 व्यक्ति लेकर विवादित भूमि पर आया तथा उन्हे भूमि दिखाने लगा जिस पर पूछा कि ये कौन व्यक्ति है ओर तुम ये जमीन इन्हे क्यो दिखा रहे हो तो प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि हम अपना हिस्सा की भूमि इनको बेच रहे है। वादी के ये कहने पर कि इस जमीन में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है सारी भूमि में मेरे पिता की है जिस पर मेरा ही कब्जा है प्रतिवादी ने कहा कि हमने ये जमीन सेटलमेन्ट से मिलकर अपने नाम दर्ज करा ली अब हम इस ज़मीन को बेचगे तथा भूमि से तुम्हे बेदखल कर केता को जबरन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामफूल बनाम रामनारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
178/2021 621/2019 662/2019		

कब्जा करायेगे तुमसे जो सके वह कर लेना इस कारण वादी को यह आवश्यक हो गया है कि वह अपने खातेदारी अधिकारो को घोषणा करवाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा उक्त कृत्य नहीं करन हेतु पाबन्द कराये तथा वादी ने वाद पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने के आदेश प्रतिवादी संख्या 3 को प्रदान किये जाने एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द कराये जाने का अनुतोष चाहा।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय व डिक्री दिनांक 11/11/2019 पारित करते हुये वादी का वाद डिक्री कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर रामफूल ने काउन्टर क्लेम एवं निर्णय व डिक्री दिनांक 11/11/2019 के विरुद्ध पृथक-पृथक अपीले क्रमश: 178/2021 एवं 621/2019 तथा कल्ली देवी ने निर्णय दिनांक 11/11/2019 के विरुद्ध अपील संख्या 662/2019 इस न्यायालय के समक्ष स्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस तीनो पत्रावलीयो पर ईकजाई रूप से सुनी गयी | चूँकि तीनो अपीले एक ही वाद में पारित काउन्टर क्लेम एवं निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों की ईकजाई बहस समायत की गयी है | अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से तीनो अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है | निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य-सबूत का तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किये जाने से प्रश्नगत आराजी का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रहे प्रतिवादीगण/अपीलार्थी की पैतृक खातेदारी की आराजी होना कतई स्पष्ट नही होता है बल्कि प्रश्नगत आराजी का वादी/रेस्पो. के पिता प्रताप की खाते की स्व.अर्जित आराजी होना प्रकट होता है | ऐसी स्थिति

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामफूल बनाम रामनारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

178/2021
621/2019
662/2019

में अपीलाधीन निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया विवेचन न्यायसंगत एवं विधिसम्मत प्रतीत होता है | ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11/11/2019 यथावत रखे जाकर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपीले क्रमश: 178/2021, 621/2019 एवं 662/2019 ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद नामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 17/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर